न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 106 / 2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मांगीलाल पिता भीमा बैरवा निवासी शिवरतीतहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. चम्पालाल पिता हीरालाल जाट निवासी शिवरती।
2. नन्दराम पिता एकलिंग जाट निवासी शिवरती।
3. घनश्याम पिता नारायण जाट नाबालिग जरिये संरक्षक श्रीमती जमनी बेवा लेहरू जाट निवासी शिवरती।
4. लक्ष्मीनारायण मंदिर ग्राम शिवरती जरिये पुजारी महावीर पिता बालूदास वैष्णव निवासी शिवरती
5. रतन पिता शंकरलाल जैन निवासी शिवरती।
6. भरत पिता शंकरलाल जैन निवासी शिवरती।
7. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 21 / 10 / 2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम शिवरती पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2066 रकबा 0.07 हे0 2068 रकबा 0.02 हे0 2074 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.34 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 193 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं।प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 6बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवंग्राम शवरती पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2066 रकबा 0.07 हे0 2068 रकबा 0.02 हे0 2074 रकबा 0.25 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.34 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं,**उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये [illegible] की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जा[illegible] के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थ[illegible] (पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की [illegible] 450/–(चार सो [illegible] रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी [illegible] करें। पालनार्थ तह[illegible] सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:01:05 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21 / 10 / 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)